



झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

- ✳ इस योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे परिवार के (मुखिया सहित) पाँच सदस्यों को सालाना रू0 30,000 का स्वास्थ्य बीमा किया जायेगा।
- ✳ वर्ष 2009-10 से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू है।
- ✳ बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि गाँव-गाँव जाकर बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों का निबंधन कर उनका फोटो खिंचकर उन्हें एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करार्येंगे।
- ✳ बी0 पी0 एल0 परिवार के मुखिया एवं सदस्यों की पहचान जिला प्रशासन द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।
- ✳ यह योजना शुल्क-रहित है। एक बार कार्ड बनने के बाद सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होकर ईलाज कराने का सभी खर्च (रू0 30,000 तक) का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा अस्पताल को किया जायेगा।

प्रधान सचिव
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
झारखण्ड, राँची।